"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2007—ज्येष्ठ 18, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक एफ 2-4/2006/1-8.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2007

क्रमांक एफ 2-6/2006/1-8.—श्री एस. के. दुबे, निज सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय (वर्तमान में उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर की निजी स्थापना में संलग्न) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्टाफ आफिसर के पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में पदोन्नत करते हुए यथावत् संलग्न किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आवंटित अधिकारियों द्वारा भविष्य में कार्यभार ग्रहण करने पर उस समय पद उपलब्ध न होने की स्थिति में श्री दुबे को पदावनत किया जा सकेगा.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 295/326/2007/1-8/स्था.—श्री एन. के. भट्टर, रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 24-4-2007 से 30-4-2007 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. भट्टर को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक 1015/345/2007/1-8/स्था.—श्री गेबनुस खलखो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 21-5-2007 से 30-5-2007 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गेबनुस खलखो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खलखो अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2007

क्रमांक 280/386/2007/1-8/स्था.—श्री विनोद गुप्ता, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 07-05-2007 से 18-05-2007 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद गुप्ता, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2007

क्रमांक 282/392/2007/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 14-05-2007 से 26-05-2007 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. डी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 287/484/2007/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. राय, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-6-2007 से 7-7-2007 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री व्ही. के. राय के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. के. बाजपेई, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. राय, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. राय, अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 291/451/2007/1-8/स्था.—श्री बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 3-5-2007 से 11-5-2007 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. अहिरवार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. अहिरवार, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक 293/476/2007/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुन्दानी, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 21-5-2007 से 31-5-2007 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुन्दानी को प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी. कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2007

क्रमांक 297/486/2007/1-8/स्था.—श्री अनिल टूटेजा (राप्रसे) मुख्यमंत्री के उप-सचिव एवं छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 6-6-2007 से 14-6-2007 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल टूटेजा को मुख्यमंत्री के उप-सचिव एवं ऊर्जा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल टूटेजा अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्यमंत्री के उप-सचिव एवं ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक/1953/डी-15/116/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये दलहन एवं गेहूं पर 01-04-2006 से 31-03-2009 तक की कालावधि के लिए मंडी शुल्क से (उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन) पूर्णत: छूट प्रदान करती है.

No. /1953/D-15/116/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby exempts full Market Fees (Under Sub-section (1) of section 19 of said Act) on the pulses and wheat which are brought by processor from out side of the State for processing for the period from First April, 2006 to 31-03-2009.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 23 मई 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/2003-04.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़े डोंगर प.ह.नं. 16	2.223	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव, जिला बस्तर.	बड़े डोंगर जलाशय क्रमांक-2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	छिन्दभौना प. ह. नं. 36	46.492	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	उजलपुर प. ह. नं. 36	34.008	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बरबहली प. ह. नं. 36	15.740	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	भैसगढ़ी प. ह. नं. 36	15.552	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बड़गांव प. ह. नं. 36	15.414	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 1/अ 82/05-06/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-सक्ती
  (ग) नगर/ग्राम-नया बाराद्वार, प. ह. नं. 15
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	723/1	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर से रायगढ़ मार्ग हेतु (सक्ती से चांपा)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक 6/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहुरता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	734	0.23
योग	1	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तखतपुर बेलपान मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक/69/भू-अर्जन/अ.वि.अ./4-अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-पीढी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1097	0.20
योग	1	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गढसिवनी मोहकम मार्ग में पीढी नाला में सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 23 मई 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/95-96/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कमेला, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-158.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/20	0.093
49/19	0.093
49/12	0.0910
122	0.987
146	0.991
147	0.295
154	0.344
160/2	0.210
161/1	0.578
83/26	0.364
146/5	0.344
152/5	2.185
83/28	2.752
58	2.922
160/3	0.486
12/13	1.376
46/2, 47/2, 49/13	0.862
49/16	0.146
49/22	0.138
132	1.210
124/4	0.405
49/2, 49/4, 53/1	5.097
49/15	0.198
124/5	0.133
141/2	0.202
140	1.051
45	2.177
41/2	0.080
117	0.405
136	1.011
160/4	0.324
146/11	0.162
51/3	0.121
127/2, 129	3.306
49/29	0.283
123	9.632
149	2.169
157	0.138
124/6	0.364
124/7	0.728
131	0.479
49/28	0.324
144/1, 148/1	2.691
146/2, 148/3	0.344
159	0.231
146/10	1.214
84/7, 53/2	1.538
49/26	0.166
49/7	0.161
128	0.688
150	2.873
152/4	0.081
46/1, 47/1, 49/5	0.862
49/21	0.133
49/9	0.150
125	0.053
134	0.161
141/1	2.278
124/3	0.352
126	1.437
135	1.420
48, 49/4, 49/8	0.502
146/4	0.688
146/8	0.769
146/9	0.971
160/5	0.910
49/3, 47/3, 49/14	0.862
49/17	0.145

(1)	(2)
49/23	0.138
49/11	0.262
12/11	1.781
12/12	0.910
156	0.570
158	0.138
12/17	9.874
61/19	0.809
12/19	0.648
12/2	0.445
83/34	1.700
133/1	0.040
59	0.161
142/1, 143/1, 127/1, 27/3	11.125
151/1	18.822
130	1.210
144/2, 148/2	4.452
146/7	0.789
116	0.728
133/2	0.708
51/5	0.202
51/6	0.121
152/2, 152/3	0.306
155/2, 161	5.430
155/4	0.607
162/2	0.202
12/6	0.809
12/3	1.031
12/7	0.405
12/5	2.914
12/8	0.607
12/16	0.619
12/9	0.607
12/15	1.619
12/18	0.040
12/10	0.405
12/14	1.335
46/4, 47/4, 49/15	0.866
49/18	0.146
49/24	0.133
124/2	0.494
61/2	1.562
136/2	0.837
144/1 ख	0.445
146/10 ख	1.214
148/1	1.416
148/3	0.344
योग	158.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी. डी. पी. पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-भेण्ड्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.592 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
415	0.202
313/3, 313/4, 313/5	0.809
414	0.040

(1)	(2)
422/1	0.283
422/2	0.243
422/3	0.243
352/4	0.080
412/1	0.105
412/2	0.105
411/2	0.324
410	0.607
439	0.445
451	0.679
351	0.243
438/1	0.809
446	0.162
447/2	0.048
445	0.364
354/1, 354/2	1.012
332	0.117
333/1	0.405
331/1	0.609
331/2	0.142
330/1	0.040
330/2	0.020
329/4	0.080
9/16	0.202
9/17	0.243
9/18	0.931
योग	9.592

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बैहामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.005 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
279/8	0.210
279/9	0.486
282	1.174
283	0.486
284/2	0.283
306/3	0.526
306/4	0.364
306/5	0.283
306/6	0.080
306/7	0.162
306/8	0.202
306/9	0.567
399/3	0.162
402	0.020
योग	5.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.645 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
668/1	0.202
668/2	0.615
670, 679	0.300
673	0.032
678	0.409
677	0.024
683	0.470
689/1	1.372
689/19, 689/12	0.295
689/11, 689/18, 689/23	0.704
669/2	0.222
योग	4.645

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-रायगढ़

(ख) तहसील-लैलूंगा

(ग) नगर/ग्राम-झरन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.086 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138/9 ख	0.008
143/1	0.020
144	0.058
147	0.008
293/6	0.048
286/2	0.024
285/1	0.120
283/3	0.024
283/5	0.012
272	0.022
271	0.024
266	0.052
262/1	0.054
250	0.064
261/1	0.088
260/1	0.052
363/1	0.052
364/6	0.092
366/5	0.016
366/9	0.032
366/4	0.028
253	0.092
139/3	0.420
139/5	0.440
7/1	0.012
139/4	0.377
139/6	0.190
141	0.068
139/9 क	0.243
1/2	1.232
138/12	0.152
143/7	0.088
145	0.012
293/5	0.201
286/1	0.012
286/3	0.004
286/4	0.004
283/1	0.080
277	0.008
273	0.074
264/1	0.108
248	0.008
267	0.004
274	0.004
262/4 क	0.012
261/3	0.048

(1)	(2)
366/12	0.012
364/1	0.060
366/6 क	0.078
366/3	0.038
367/4	0.058
375	0.062
4/1	0.562
4/2	0.422
6/5	0.055
139/1	0.202
139/2	0.243
139/7	0.175
138/12	0.148
139/9 ख	0.162
योग	7.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झरन जलाशय योजना हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
201	0.016
204	0.084
187/1	0.008
263/1 ख	0.130
186	0.060
174	0.036
177	0.078
222	1.200
230/2	0.804
231/1	0.392
153/2	0.287
153/4	0.287
147/2	0.294
145	0.004
39/1	0.056
261	0.008
263/1 d	0.130
192/8	0.364
192/13	0.202
192/7	1.214
197/2	0.122
192/2	0.040
192/4	1.416
203	0.256
195/1	0.084
198/1	0.849
198/3	0.203
198/5	0.445
198/7	0.405
192/9	0.105
199	0.773
201	0.857
203	0.220
188	0.004
187/2	0.052
183/2	0.060
173	0.101
175	0.038
176/1	0.036
223	0.028
231/4	0.004
153/1	0.287
153/3	0.287
147/1	0.294
147/3	0.294
39/2	0.004
42/5	0.092
214	0.012
262	0.336
192/12	0.486

(1)	(2)
192/14	0.210
192/6	0.400
196/2	0.360
192/3	0.615
194	1.275
193	0.101
196/1	0.289
198/2	0.709
198/4	0.425
198/6	1.011
198/8	0.024
197/2	0.405
202	0.208
197/3	0.616
योग	19.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झरन जलाशय योजना हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-आमाघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.537 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
543	0.148
468/2	0.040
451	0.155
487/2	0.008
553	0.086
453	0.361
554	0.128
450	0.120
480	1.129
452	0.141
447	0.043
491	0.324
537	0.080
479	0.097
487/1	0.040
464/4	0.040
464/5	0.052
464/4	0.061
477	0.040
488	0.081
533/1	0.216
545	0.020
447	0.047
462	0.250
469	0.114
475	0.113
456/2	0.010
476	0.049
438	0.066
441/1	0.025
439/2	0.036
466/1	0.096
489	0.157
492/1	1.225
520	0.127
536/1	1.296
538	0.182
458	0.000
439/1	0.014
455	0.022
466/2	0.096
492/3	0.121
492/4	0.162
492/5	0.041
536/2	0.332
465	0.193
454	0.556
456/1	0.021
456/3	0.010

(1)	(2)
490	0.144
464/1	0.061
441/1	0.021
467	0.276
544	0.067
463	0.168
464/3	0.037
योग	8.537

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना डूबान क्षेत्र के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
200	0.016
211	0.092
8	0.042
17/3	0.032
201	0.085
9/2	0.026
11	0.070
9/1	0.032
533	0.192
199	0.121
203	0.006
519/1 क	0.024
16	0.086
12/2	0.026
12/1	0.048
17/4	0.057
17/1	0.019
202	0.405
212/1	0.009
213/1	0.048
520	0.008
527	0.151
178/5	0.070
योग	1.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना डूबान क्षेत्र के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-राटरोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16	0.031
20	0.027
85	0.094
7	0.041
77	0.160
72	0.230
31	0.064
81	0.513
87	0.110
68	0.100
88	0.038
16	0.099
71	0.220
79	0.047
33	0.403
35	0.360
36	0.113
39	0.390
82	0.147
21	0.050
76/1	0.770
22	0.120
42	0.259
86	0.232
76/2	0.467
25	0.028
30	0.046
41	0.107
70	0.727
32	0.071
23	0.150
83	0.116
योग	6.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना डूबान क्षेत्र के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 /अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कसडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.921 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
45/2	0.070
65/2	0.027
554/7 ख	0.008
500/1	0.050
500/6	0.100
315	0.216
317	0.108
318	0.154
280	0.109
282	0.283
289/2	0.077
47/2	0.139
314	0.048
45/5	0.010
299	0.025
300/1	0.057
110/2	0.060
500/3	0.100
110/3	0.067
499	0.064
554/7 ग	0.012
62/2	0.020
70/3	0.878
554/2 क	0.081
554/10 क	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
510/2	0.087	115/2	0.116
313/2	0.100	68	0.272
514	0.384	107	0.170
515/1, 425/1	0.072	63/1	0.025
111	0.028	63/2	0.003
285	0.032	515/2	0.020
288/1	0.096	516/2	0.038
289/2	0.077	316	0.088
498	0.054	554/1 ख	0.008
516/1	0.032	101/2	0.194
517	0.259	70/4	0.107
519/1	0.022	554/2 ख	0.081
521	0.032	554/10 घ	0.024
520/1	0.032	71/4	0.032
29/1	0.019	45/1	0.080
35/1	0.006	63/3	0.038
26	0.206	102	0.225
49	0.021	103/1	0.379
50	0.045	112	0.027
51	0.013	44	0.280
52	0.005	47/1	0.162
27	0.454	60/1	0.640
500/9	0.100	511	0.216
9	0.064	554/8	0.040
37	0.340	554/9	0.040
59/1	0.243	61/1	0.113
45/4	0.070	70/1	0.882
36	0.275	554/10 ख	0.028
288/3	0.038	554/2 घ	0.081
54/5, 58/1	0.200	32	1.003
66/3	0.032	33	0.120
66/1	0.067	34	0.150
65/1	0.042	500/2	0.050
64	0.146	500/5	0.050
283/2	0.494	110/1	0.077
108/2	0.138	554/7 क	0.008
113/2	0.049	554/2 ग	0.081
114/9	0.182	70/2	0.532
115/1, 117/1	0.125	109	0.345
45/3	0.070	288/2	0.048
288/4	0.012	512/4	0.019
289/3	0.038	284/2	0.635
35/2	0.014	113/1	0.243
41/4	0.227	284/1	0.218
108/1	0.138	61/2	0.158
113/3	0.049	29/2	0.027
114/2	0.186	41/3	0.138

(1)	(2)
313/3	0.058
313/4	0.050
319/1 घ	0.052
24	0.037
25/2	0.053
554/76	0.012
23/3 ग, 25/3, 23/3 घ, 25/4, 23/3 क, 21/1	0.070
500/7	0.050
554/10 ग	0.028
योग	16.921

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना डूबान क्षेत्र के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-तमनार, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
256	0.154
281	0.498
293	0.975
258	0.312
259	0.295
282	0.514
288/1	0.377
288/2	0.405
289/1	0.834
289/2	0.028
169/2	0.077
170/3	0.223
9/2	0.332
12	0.401
21/2	0.259
103/2	0.304
109/4	0.097
108/1	0.372
108/4	0.186
108/5	0.372
109/1	0.457
109/2	0.129
109/3	0.138
131/3	0.121
131/4	0.249
131/1	0.607
134/2	0.182
134/3	0.231
167/4 क	0.300
330/5	3.357
167/6	1.011
167/7	0.283
172	0.861
167/4 ख	0.283
201/1	0.445
201/2	0.474
203	0.587
14/1	0.164
91/3 ख	0.122
132/4	0.166
109/5	0.081
योग	17.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के हरित पट्टिका निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-सलिहाभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.988 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
543/1	0.089
547/1	0.140
551	0.271
559/1	0.244
576/1	0.032
576/7	0.135
576/10	0.032
576/12	0.024
576/14	0.028
576/15	0.049
543/2	0.095
547/2	0.391
559/2	0.222
561/1	0.153
576/2	0.040
576/8	0.09[illegible]
576/11	0.049
576/13	0.123
543/3	0.095
547/4	0.095
547/5	0.170
576/5	0.032
576/9	0.073
547/3	0.142
559/3	0.202
576/4	0.131
576/6	0.083
565/4	0.384
576/3	0.080
591/5	0.182
591/8	0.324
592/1	0.020
593/1	0.054
593/2	0.154
595	0.202
591/3	0.235
591/6	0.049
593/3	0.235
591/1	0.405
591/2	0.202
592/4	0.202
574/1 क	1.473
594/1	0.202
594/2	0.025
593/4	0.202
585	0.065
587/1	0.295
591/4	0.113
592/2	1.147
596/1	1.619
525	1.028
565/5	0.324
572/1	0.010
564/2	0.283
564/3	0.111
562/2	0.162
564/1	0.129
564/5	0.069
565/3	0.392
553	0.717
555	0.833
545/2	0.190
548/2	0.486
558/2	0.121
550/1	0.854
550/2	0.526
550/3	0.243

(1)	(2)
550/4	0.405
योग	17.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के हरित पट्टिका निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बुड़िया, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
299/2	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के पाईप लाईन कोल कन्वेयर निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-झिकाबहाल, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.333 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
124/1 क/1	0.809
124/1 क/4	0.096
125/11	0.097
124/1 क/5	0.028
124/1 क/6	0.018
124/1 क/8	0.022
124/1 क/9	0.041
124/1 क/10	0.040
124/1 क/11	0.020
124/1 क/12	0.022
124/ क/13	0.024
124/1 क/14	0.020
124/1 क/15	0.020
124/1 क/16	0.028
116	0.692
118	0.587
119/2	0.040
124/1 ख	1.614
124/2 ख, 127/3, 129/2	1.325
125/1	0.149
125/5	0.069
125/6	0.158
125/2	0.449
125/3	0.004
125/4	0.092
126/1	0.236

(1)	(2)
126/2	0.176
126/3	0.259
126/5	0.299
126/4	0.215
126/6	0.175
126/7	0.175
126/8	0.081
126/9	0.057
126/10	0.065
126/11	0.085
124/1 क/7	0.032
186	0.008
73/4	0.006
योग	8.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के आवासीय कालोनी निर्माण, पाईप लाईन, कोल कन्वेयर हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-टिहलीरामपुर, प. ह. नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.246 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
281	2.300
283	0.350
399	0.610
366	0.950
377	0.690
406	7.500
318	0.710
351	0.150
365/2	0.143
368/2	0.170
365/3	0.143
368/3	0.170
352	0.170
373/1	0.526
373/3	0.137
378	0.220
379	0.180
382	0.070
397	1.520
383/1	0.070
390	0.140
396	0.950
398	0.590
384	0.190
395	1.340
401	0.510
392	0.710
393	0.880
394	0.520
400	0.970
402	0.250
373/2	0.567
374	0.300
383/2	0.190
385	0.220
391	0.140
योग	25.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-लिबरा, प. ह. नं. 41

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.725 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
418/1 ज	0.162
417/1	0.105
295/2	0.020
423/2	0.053
427/1	0.012
419/2	0.045
375/1 ख	0.040
295/3	0.045
295/4	0.028
379/1	0.060
512/1 ख	0.70
418/1 ग	0.73
495/2	0.012
योग	0.725

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के पाईप लाईन, कोल कन्वेयर हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.